

चाईल्ड बजट वर्ष 2021-22

विभाग- आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

क	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021-22	राशि हजार ₹ में अनुमानित लाभार्थी (0 से 18 वर्ष)
1.	जवाहर उत्कर्ष योजना	योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना । नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छ ग. राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट प्राइवेट स्कूलों के कक्षा 6वीं में प्रवेश कराया जाता है तो जो कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है।	142000	1008 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य
2.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	720000	250916 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य
3.	आश्रम और शालाएं	विभाग के अंतर्गत संचालित 1226 आश्रम शालाओं के कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र/छात्राओं को छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	2527380	83923 छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ ही शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी
4.	छात्रावास	विभाग द्वारा संचालित 1641 अनुसूचित जाति जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रावासों का संचालन।	3714750	83435 छात्र/छात्राओं को छात्रावास सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी
5.	विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में सुधार करने हेतु ।	19800	85 विकासखण्डों में 34100 छात्र/छात्राओं को कोचिंग सुविधा
6.	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	विभागांतर्गत संचालित, छात्रावास/आश्रमों, शासकीय अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त तथा निजी संस्थाओं द्वारा अनु.जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों हेतु संचालित छात्रावासों /आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को भोजन तथा खाद्य सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराना ।	335250	190813 निवासरत छात्र-छात्राओं को भोजन एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जावेगा

चाईल्ड बजट वर्ष 2021-22

विभाग- आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

क	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	राशि हजार ₹ में	
			बजट प्रावधान 2021-22	अनुमानित लाभार्थी (0 से 18 वर्ष)
7.	भोजन सहाय योजना	इस योजना अंतर्गत विभागीय पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत छात्र- छात्राओं को बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये 700/- प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से भोजन सहाय राशि उपलब्ध करायी जाती है।	176200	25555 छात्र-छात्राओं को भोजन सहाय राशि उपलब्ध कराया जावेगा